

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ ।

फार्म-VIII "क"

(भवन परगिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या-8 (4)

आवेदन संख्या-5491/2025-26, दिनांक-10/11/2025 के संदर्भ में मेसर्स श्रीवत्स इन्फ्रा प्रा0लि0 डायरेक्ट-श्री प्रहलाद कुमार, पिता-श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, श्री राज कुमार पंसारी, पिता-स्व० पुरुषोत्तम दास पंसारी, मोहल्ला-शारदा नगर, पूर्णिया, वार्ड नं०-12, जिला-पूर्णियाँ के लिए

(क) B1+B2+G+8 (व्यवसायिक होटल एवं सिनेमा हॉल) भवन के निर्माण

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के मौजा-मधुबनी, एम0एस0पी प्लॉट नं०-650/1109 खाता संख्या-426, होल्डिंग संख्या-..... गाँव पूर्णियाँ, मोहल्ला-शारदा नगर नियर बस स्टैण्ड, वार्ड नं०-12 के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा B1+B2+G+8 (व्यवसायिक होटल एवं सिनेमा हॉल) भवन का अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्रस्तावित भवन का उपयोग व्यवसायिक होटल एवं सिनेमा हॉल के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 4966.19 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि मरंगा से लाईन बाजार पूर्णियाँ एन0एच0-31 जाने वाली सड़क (100 फीट) 30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा कें आवश्यक हो।
6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ नगर निगमों क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

10. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि आस-पड़ोस के भवनों पर किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचे एवं ग्रीन शीट से ढक कर ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।
11. Rera Bihar में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. प्रस्तावित भवन भूकम्प रोधी तकनीक पर बने एवं उच्च गुणवत्ता युक्त हो, ताकि भूकम्प के प्रभाव नहीं पड़ सकें।
13. जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
14. जल संचय (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।



बिहार भवन उपविधि 2014 एवं संशोधित भवन उपविधि 2022 में उपबंधित अन्य सभी संबंधित शर्तों अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ उक्त भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।


12/11/2023
नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूरनियाँ।